



2026:AHC:11564

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ख संख्या - 127/2026

विश्वनाथ

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : संजय सिंह

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, यानी चकबंदी अधिकारी, बांसडीह, जिला बलिया को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9क(2) के तहत मामले संख्या 133/253 (जो अब मामला संख्या 0142/2018 है, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या 201854115959030142, विश्वनाथ बनाम रामायण) की सुनवाई सुनिश्चित करें और इस मामले का निर्णय उस निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें, जिसे यह माननीय न्यायालय तय करे।

II. कोई भी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित और सही समझे।

III. रिट याचिका का खर्च याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाए।"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह निवेदन है कि 'उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम' की धारा 9क(2) के अंतर्गत एक आपति अगस्त, 2012 से ही विचाराधीन है; जबकि उक्त कार्यवाही में विपक्षी पक्षकार पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपर्युक्त मामले के शीघ्र निपटारे हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपति नहीं है।
5. इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि यह निर्देश दे रहा है कि समेकन अधिकारी, बांसडीह, जिला बलिया (प्रतिवादी संख्या 2)—जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला विचाराधीन है—वे कानून के अनुसार, शीघ्रता से (और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से **छह महीने** की अवधि के भीतर) उस मामले पर विचार करें और उसका निर्णय करें।
6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसका निर्णय कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा किया जाए; और ऐसा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना किया जाए।
7. उपर्युक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

जनवरी 16, 2026

नीतू

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

"Translated, Corrected & Authenticated by SHIKHAR CHANDRA

(ADVOCATE) HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.O.R - A/S1272/2022

UP REGN. No. UP09028/2020"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated Version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"